

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आ.१०एल०आर०

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जारी की गई रिपोर्ट अनुसार

श्रीमान श्री हरिप्रसाद शर्मा एन.ए. 2075-78 (खाना) 112 हल्का 134
की सहायता से जमीन का दस्तावेज बनाने के लिए आवेदन किया है।
अतः (खाना) का दस्तावेज बनाने का निर्णय किया जाता है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुडगाँवडी

दिनांक - 14/12/2021

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/सही नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जायेगी/नहीं की जाती है।

दुरुस्त नाम जारी किया है

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुडगाँवडी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला मुंबई (राज.)

आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" पत्र-मा पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (गुडगाँव) उदयपुरवाटी/गुडगाँवडी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (गुडगाँव) उदयपुरवाटी/गुडगाँवडी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाये हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	हरिप्रसाद	2075-78	112	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत	महेशचन्द्र पुत्र हरिप्रसाद शर्मा

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जाये।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 14/12/21

क्रमांक - राजस्व/2020/2243

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार (गुडगाँव) उदयपुरवाटी/गुडगाँवडी को वास्तु पालना के लिए।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनाार्थ

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी